I/58516/2023

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 278 दिनांक 06.05.2022 द्वारा सुश्री चंचल कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01062) के विरूद्ध निर्धारित समय में किस्तवार पूर्ण नहीं करने, खानापुरी कार्य प्रतिवेदित आरोप की तिथि तक पूर्ण नहीं करने, उपस्थिति पंजी एवं बैठक पंजी में उपस्थिति दर्ज नहीं करने एवं कार्यो में लापरवाही बरतने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

प्रतिवेदित आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के ई–ऑफिस पत्रांक I/27264 दिनांक 30.06.2022 द्वारा आरोपित से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पश्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने की स्थिति में शेखपुरा जिला के लिए मुख्यालय स्तर पर नामित्त नोडल पदाधिकारी से मंतव्य प्राप्त किया गया है।

आरोपित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं नोडल पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया कि आरोपित द्वारा अपने कार्य संस्कृति में सुधार लाया गया है, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

अतः आरोपित द्वारा अपने कार्य संस्कृति में लाए गए सुधार के दृष्टिगत तत्काल सुश्री चंचल कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01062) के अनुपस्थित अवधि के मानदेय की कटौती करते हुए आरोप से मुक्त किया जाता है। यदि इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में की जाएगी, तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

Signed by Jai Singh
Date: 18-03-2023 20:42:16

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. सुश्री चंचल कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01062), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा।
2. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।